

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईख्तदाई
(अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठसीन अधिकारी :- श्री जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 312/2022
वाद पत्र अ. धारा 88/53 आरटीए

अमित कुमार पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चक 9 एम.एम.के. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम्

--वादी

1. कलावती पत्नी स्व. श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 9 एम.एम.के. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राजबाला पत्नी स्व. श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चक 9 एम.एम.के. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. प्रियंका पुत्री स्व. श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चक 9 एम.एम.के. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. ज्योति पुत्री स्व. श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चक 9 एम.एम.के. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. रमेश पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 9 एम.एम.के. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. अमृतपाल पुत्र श्री हंसराज जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. युशब अली पुत्र स्व. पीरबक्श पुत्र स्व. इमामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. नूरनवी पुत्र स्व. पीरबक्श पुत्र स्व. इमामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. याशीन पुत्र स्व. रसीद पुत्र स्व. इमामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
10. मंजुर मोहम्मद पुत्र स्व. रसीद पुत्र स्व. इमामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
11. नूर मोहम्मद पुत्र स्व. रसीद पुत्र स्व. इमामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
12. लाल खां पुत्र स्व. रसीद पुत्र स्व. इमामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
13. नूर मोहम्मद पुत्र स्व. गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
14. जमालदीन पुत्र स्व. गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
15. आमीन पुत्र स्व. गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

16. अब्दुल खाँ पुत्र स्व. गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
17. सतार खाँ पुत्र स्व. गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
18. सख्खर खाँ पुत्र स्व. गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
19. गफूर खाँ पुत्र स्व. गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
20. जन्ना पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
21. जयना पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
22. फात्मा पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
23. कुरेशा पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
24. ईमा पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
25. हाजरा पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
26. ऐशा पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
27. विनोद कुमार पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
28. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण




डिक्री

दिनांक :- 23.4.2016

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महाबीर बेरड़ अभिभाषक वादी व मिन जामिन मुदई इन्द्रपाल बेनीवाल अभिभाषक प्रतिवादी सं. 27 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक डिक्री निम्नानुसार दी जाती है :-

चक 9 एमएमके के खाता संख्या 73/ 9 में कुल 5.3113 हैं मौके पर कब्जा काश्त की भूमि:-


 महाशयक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया

1. विनोदकुमार पुत्र रामरुख जाति जाट सा. रतनपुरा

प.न.	मु.न.	किला नं.
129/204	41	22/0.253 हैं कुल रकबा 0.253 हैं नहरी

2. कलावती पत्नी पृथ्वीराज 2.3023 हि. (1.518 है. राहिन) एसबीआई शाखा लीलावाली, रमेशकुमार पुत्र पृथ्वीराज फौत कब्जा वारिसान माया देवी (पत्नी), पुमित (पुत्र), पूनम (पुत्री) (1.1385 ब.हि.ब.), विनोदकुमार पुत्र पृथ्वीराज फौत कब्जा वारिसान राजबाला (पत्नी), ज्योति (पुत्री), प्रियंका (पुत्री), अमित कुमार (पुत्र) (1.6192 ब.हि.ब.) राहिन एसबीआई शाखा लीलावाली जाति जाट सा 9 एमएमके किककरवाली

प.न.	मु.न.	कि.नं.
128/204	40	6/1/0.228है.,6/2/0.025 है.गै.मु.खाला 7/0.253है.,15/1/0.228है.,15/2/0.025है. गै.मु खाला 16/1/0.228है.,16/2/0.025है.गै. मुखाला,25/1/0.228है.,25/2/0.025है.गे.मु. खाला

प.न.	मु.न.	किला नं.
128/205	50	5/1/0.228है.,5/2/0.025है.गै.मु.खाला
129/204	41	1/1/0.253हैं., 20,21/0.253 हैं. प्र.
129/205	49	1,2/0,253हैं.प्र.,8,9,10,11,12,13/0.253 हैं. प्र., 18,19,20/0.253 हैं. प्र. कुल रकबा 5.060 हैं नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त वाद अपवादित खातों से सम्बन्धित है। पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2024/2576 दिनांक 04.07.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

सहायक कलेक्टर एवं
प्रमुख अधिकारी
संगरिया

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकी दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....को अदा करे।

यह डिकी बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनाक 23.4.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

